पत्रांक–मो02–दरभंगा–54/2025–

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

टेरिटोरी मैनेजर (गैस), बिहार–01,
(दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी एवं शिवहर),
भारत पेट्रोलियम कॉरपॉरेशन लिमिटेड।

/पटना, दिनांकः

विषयः– Request for allotment of land for DRS/DCU installation for CGD project in Sakri, Madhubani district of Bihar.

प्रसंगः– आपका पत्रांक BPCL/BIHAR-01/ GA/ WRD/Sakri/DRS/02 दिनांक 04.04.2026

महाशय,

भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सीजीओं परियोजना के लिए डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग स्किड (डीआरएस)/डीकंप्रेशर यूनिट (डीसीयू) के स्थापना हेतु जल संसाधन विभाग के पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल, सकरी अन्तर्गत अधिगृहित कुल 19.34 एकड़ भूमि (विभागीय भूमि, कोशी कॉलोनी सकरी अंतर्गत) में से कुल भूमि 20 मीटर (उत्तर से दक्षिण) × 10 मीटर (पूरब से पश्चिम) = (200 वर्ग मीटर) भूमि के उपयोग हेतु अनापत्ति/सहमति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् समीक्षोपरांत विषयक कार्य हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता हैः–

(i) कार्य के दौरान जल संसाधन विभागीय संपत्तियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं किया जायेगा।

(ii) उक्त निर्माण कार्य से जल संसाधन विभाग की स्वामित्व किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी। उपयोग में लाये जानेवाले भूमि का विभागीय स्वामित्व यथावत रहेगा।

(iii) विभागीय आवश्यता होने पर उक्त भूमि को कार्यहित में विभागीय उपयोग हेतु किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

(iv) विभागीय अभियंता के दिशा निदेश का पालन करना बाध्याकारी होगा।

(v) कार्य कराये जाने के दौरान किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी मरम्मति/सुरक्षा पर होने वाले व्यय की जिम्मेवारी परियोजना प्राधिकार की होगी।

(vi) जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा दिये गये दिशा निदेश के अनुसार ही कार्य कराया जायेगा।

(vii) कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल से अनावश्यक सामग्रियों मलबा आदि को हटाने एवं साफ–सफाई की पूर्ण जिम्मेवारी कार्य कराने वाले प्राधिकार/विभाग की होगी।

(viii) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र सिर्फ जल संसाधन विभाग के तरफ से है एवं अन्य विभागों से यदि आवश्यक हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र अलग से प्राप्त करना होगा।

(ix) उपरोक्त शर्त्तों का उल्लघंन होने पर कार्य को अवैध माना जायेगा।

विश्वासभाजन
ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांकः–मो02–दरभंगा–54/2025– /पटना, दिनांकः

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा/अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल, सकरी को सूचनार्थ एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित शर्तों के अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांकः–मो02–दरभंगा–54/2025– /पटना, दिनांकः

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांकः–मो02–दरभंगा–54/2025– 908 /पटना, दिनांकः 05-05-2026

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)